न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 93/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा–कांवट, जिला सीकर (राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मेसर्स गणेशम किराना स्टोर प्रो. संजय जिन्दल पुत्र विश्वनाथ जिन्दल**
   पता–238 के, गनेश्वरवालों की हवेली के पीछे, श्याम मन्दिर के पास, नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना (राज.)
2. **संजय सिंह पुत्र अमर सिंह**
   पता–वार्ड नम्बर 01, सुभाष मंडी, नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः– 02 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेश कुमार मिश्रा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मेसर्स गणेशम किराना स्टोर प्रो. संजय जिन्दल पुत्र विश्वनाथ जिन्दल** एवं **संजय सिंह पुत्र अमर सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक सम्पति **बेसमेन्ट, सरकारी हॉस्पिटल के सामने, ग्राम कांवट, तह. खण्डेला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 183.82 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में हरिजन बस्ती, उत्तर दिशा में अन्य दुकान और रास्ता थान रोड़ खण्डेला से कांवट एवं दक्षिण दिशा में हरिजन बस्ती स्थित है। उक्त सम्पति को बंधक रखकर **कुल 25,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पच्चीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.06.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.06.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटोप्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मेसर्स गणेशम किराना स्टोर प्रो. संजय जिन्दल पुत्र विश्वनाथ जिन्दल** एवं **संजय सिंह पुत्र अमर सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक सम्पति **बेसमेन्ट, सरकारी हॉस्पिटल के सामने, ग्राम कांवट, तह. खण्डेला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 183.82 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में हरिजन बस्ती, उत्तर दिशा में अन्य दुकान और रास्ता थान रोड़ खण्डेला से कांवट एवं दक्षिण दिशा में हरिजन बस्ती स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।?

6. आदेश आज दिनांक **02 दिसंबर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर